न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 222/2024

1. श्री लाला उर्फ लालाराम पुत्र स्व.श्री सुगना उम्र बालिग जाति और निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान । वादी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र स्व.श्री हजारी उम्र बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
2. श्रीमती बीला पुत्री स्व.श्री हजारी उम्र बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. श्रीमती मीरा पत्नी स्व.श्री गोपी उम्र बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
4 श्रीमती पिंकी पुत्री स्व.श्री गोपी उम्र बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
5.श्रीमती आशा पुत्री स्व.श्री गोपी उम्र बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
6.नाबालिग कविता पुत्री स्व.श्री गोपी जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती मीरा पत्नी स्व.श्री गोपी।
7. नाबालिग ममता पुत्री स्व.श्री गोपी जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती मीरा, पत्नी स्व.श्री गोपी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह — निर्णय दिनांक 23.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एंव खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा भू.अभि.नि.क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ में स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है खाता संख्या 434 के खसरा संख्या 1004/169 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, वादी की स्वय के एकल कब्जे, काश्त खातेदारी अधिकार की उपरोक्त चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी भूमि को काश्त करने, बतलाने, अन्तरण करने, रहन रखने आदि सम्पूर्ण विधिक अधिकार वादी को प्राप्त है। जिसमें हरतक्षेप, दखल व ऐतराज करने का किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी के खसरा संख्या 1004/169 की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में चारागाह है जिसके खसरा संख्या 1334/170 रकबा 5.5111 हैक्टेयर किस्म चारागाह है, पश्चिम दिशा में सरकारी भूमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 169 रकबा 22.7329 किस्म गैर.मु. हरड़ा है, उत्तर दिशा में सरकारी भूमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 169 रकबा 22.7329 किस्म

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हरडा है तथा दक्षिण दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 7 की कृषि भूमि स्थित है जिसके नम्बर 1061/169 है उपरोक्त सम्पूर्ण खसरान भूमि को सलंगन नजरी नक्शा में दर्शाया गया की परिशिष्ट "अ" है जिसे वाद पत्र के साथ ही पढ़ा व समझा जावें उक्त परिशिष्ट "अ" वाद का अभिन्न अंग है। वादी के वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि स्थित है जिस कारण वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 आपस में पडौसी होकर दोनों के मध्य अपनी–अपनी कृषि भूमि की नीव, सींव एंव सीमा संबंधी विवाद निरन्तर उत्पन्न होता रहता है। इस कारण वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि का स्पष्ट सीमा ज्ञान कराने हेतु तहसीलदार महोदय, किशनगढ के यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये तहसीलदार महोदय ने वादग्रस्त खसरा भूमि का सीमा ज्ञान कराने का आदेश पारित किया था। हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पालना करते हुये ग्राम बरणा में स्थित विभिन्न खसरों का एकसाथ सीमा ज्ञान किया गया जिसमें वादग्रस्त खसरा संख्या 1004/169 की कृषि भूमि पर जरीब चलाकर वादी पड़ौसी खातेदारगण एंव मौकाविरानों की उपस्थित में, काचरिया–बरणा सीमा को मुस्तकिल मानते हुए खसरा न. 1356/988, 1358/388 व 1004/169 की पूर्वी मेड को मौके पर सीमाज्ञान करते हुए कायम किया गया, जिसका पुनः तिमेडा 993/4, 992/4 व 129 सं पुनः मिलान किया गया इसके बाद उपरोक्त बिन्दुओं से उपरोक्त ख.न. के पश्चिमी कोने को कायम किया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 1004/169 की सीमा ज्ञान की कार्यवाही मौके पर पूर्ण की गई। जिस बाबत तत्समय किसी भी पडोसी खातेदारो द्वारा आपत्ति एव ऐतराज नही किया तथा सभी मोजुदा खातेदारों ने सीमा ज्ञान सही होने की पुष्टि करी। पश्चात सीमा ज्ञान के वादी एंव प्रतिवादीगण अपनी–अपनी कृषि भूमि पर काबिज एंव काश्त रहे, वादी ने अपनी कृषि भूमि को जंगली जानवरों एव आवारों पशुओ से सुरक्षित रखने की दृष्टि से तारबन्दी कराने का मतैक्य कर निश्चय किया ताकी जंगली जानवर पैदावार को नष्ट ना कर सके। इस हेतु दिनांक 30.06.2024 को वादी कमांक 1 मौके पर तारबन्दी करवाने के आश्य से दो–तीन व्यक्तियो को जो तारबंदी लगाने का कार्य करते है को वादग्रस्त भूमि पर ले जाकर थम्बे गाडने के निशान वादग्रस्त भूमि में चिन्हीत किये। जिसे पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने मौके पर आकर सीमा एंव भूमि के नाप–चोक संबंधी बाधा कारीत कर, चिन्हित निशान तारबन्दी वास्ते प्रतिवादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में होने का कथन कर धमकाने लग गए की यहाँ पर हम लोग तारबन्दी नहीं करने देगें व गालियां देने लग गए। उक्त प्रकार का वाद–विवाद करके वादीगण के कार्य में बाधा उत्पन्न करी जिस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए वादी ने मौके पर प्रतिवादीगण को तहसीलदार के आदेशानुसार हुए सीमा ज्ञान का हवाला दिया वह कहा की वादग्रस्त भूमि का सीमा ज्ञान हो रखा है यह मेरी भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य सीमा संबंधी विवाद होने के परिक्षेप में वादी के वादग्रस्त भूमि पर पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है अन्यथा इसकी पूर्ण आशंका है की आने वाली फसल काश्त में प्रतिवादीगण खेत में हल चलाने. फसल बोने आदि कृषि एंव गैर कृषि कार्यों में निश्चित रूप से वाद–विवाद, लडाई–झगडा कारित करेगें, जिसके गंभीर दुषपरिणाम हो सकते है। खसरा संख्या 1061/169 के राजस्व रिकोर्ड में खातेदार हजारी पुत्र चंद्रा का नाम अंकन है परंतु उसके फौत हो जाने से उसके वारिसान्गण के विरूद्ध मुकदमा संस्थित किया गया है, यह कि वादी को जिन वारिसान की जानकारी थी उनके विरूद्ध वाद संस्थन किया जा चुका है भविष्य में कोई अन्य वारिस की जानकारी होती या वारिस उठ खडा हो जाता है तो उसके विरूद्ध वाद संस्थन का अधिकार वादी सुरक्षित रखता है।प्रतिवादी संख्या 8 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह की समयावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक परंतु उक्त प्रवाधान से उन्मुक्ति चाहने हेतु पृथक से धारा 80(2) का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद में वाद कारण सर्वप्रथम वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 30.06.2024 को तारबन्दी कराने हेतु थम्बे गाडने के निशान चिन्हित करने से अडौसी–पडौसी खातेदारों से सीमा संबंधि वाद–विवाद होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ, जो आज दिन तक उत्पन्न एंव उदभुद होकर सतत् रूप से जारी है। वादी की वादग्रस्त भूमि की चतुर्थसीमा का उचित नाप कर पत्थरगढी करने के आदेश पारित करे तथा प्रतिवादी क्रमांक 8 को पत्थरगढी के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

की पालना हेतु निर्देशित करें। इस प्रकार की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के

की जावे।

का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।
नांक 23.09.2025 तक भी बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 01 से 08 अनुपस्थित रहने से उनके
रुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 23.09.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा स्थित खसरा संख्या 1004/169 रकबा 0.8090 हैक्टेयर का नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस / जमाबंदी अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष मे आदेश प्रदान करने की कृपा करावे एवं अप्रार्थी संख्या 08 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि ग्राम ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा स्थित खसरा संख्या 1004/169 रकबा 0.8090 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदारी की आराजी है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 25.07.2024 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या ग्राम ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा स्थित खसरा संख्या 1004/169 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम बरणा पटवार हल्का बरणा स्थित खसरा संख्या 1004/169 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner